



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-19062026-273662
CG-TL-E-19062026-273662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3115]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 17 जून, 2026

का.आ. 3238(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगना राज्य के पेद्दपल्ली जिले में राघवपुरम और रामगुंडम स्टेशनों के बीच कि.मी.275/46-48 पर विद्यमान समपार फाटक सं. 49 के स्थान पर प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है;

उक्त भूमि में हितप्रद कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा(1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दपल्ली, पेद्दपल्ली जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दपल्ली, पेद्दपल्ली जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी

सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है .

अनुसूची

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण : तेलंगाना राज्य में राघवपुरम और रामगुंडम स्टेशनों के बीच कि.मी.275/46-48 पर विद्यमान समपार फाटक सं.49 के स्थान पर प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल.

गांव का नाम : कुंदनपल्ली		मंडल का नाम : अंतेरगांव		जिला का नाम : पेद्दपल्ली	
सर्वे. सं.	वर्गीकरण (शुष्क/आर्द्र) भूमि का प्रकार (पट्टा/सरकारी)	अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि (एकड़ों में)	भू भारती पहानी के अनुसार पट्टेदार का नाम	पेड़ों, संरचनाओं आदि का विवरण यदि कोई हो	
4	पी.पी	0.01	सरकारी भूमि		
5	पट्टा	0.22	मोहम्मद मोइन, एमडी.माजिद, हरहरा वेणुगोपाल		
13	पट्टा	0.09	कांताला लक्ष्मी		
19	पट्टा	0.18	चिंटिरेड्डी शिवरंजिनी, चिंटिरेड्डी रामरेड्डी, एनटीपीसी, सामाला मल्लेशम		
20	पट्टा	0.01	एनटीपीसी		
22	पट्टा	0.02	मेकला चंद्रय्या, एनटीपीसी		
23	पट्टा	0.10	मुन्निर अहमद, मोहम्मद फर्करुद्दीन, एनटीपीसी		
24	पट्टा	0.20	येरुकुला लक्ष्मण, समुद्रुला रामांज चार्या, मोहम्मद इस्मिल		
25	पट्टा	0.04	गुलाम बियाबनी, गौसिया, एनटीपीसी		
26	पट्टा	0.02	गुलाम बियाबनी, एनटीपीसी		
27	पट्टा	0.02	वानवमल्लई श्रीनिवास चारी, सिद्धा लक्ष्मी, बुर्रा राजय्या, एनटीपीसी		
70	पट्टा	0.08	बुर्रा चंद्रय्या, बुर्रा राजय्या, बुर्रा राजामौली, बुर्रा श्रीनिवास, बुर्रा चिरंजीवी, बुर्रा रामु, एनटीपीसी		
71	पट्टा	0.07	मेकला वीरा रेड्डी, मेकला सत्यानारायण रेड्डी, मेकला श्रीनिवास रेड्डी, एनटीपीसी		
72	पट्टा	0.04	एनगंटि श्रीनिवास, एनगंटि रवि, रेलवे		

73	पट्टा	0.03	वनमामालाई रामणा चारी, एनटीपीसी
74	पट्टा	0.041/2	बुरी आरजय्या, बुरी ओडेलु, बुरी राजय्या, बुरी नरसाम्मा, पोन्नम श्यामसुंदर, बुरी शंकरम्मा, एनटीपीसी
304	के.के	0.31	आईओसीएल, सरकारी भूमि
305/1	पट्टा	0.09	चिंत्ताला लसमय्या, दोंडुगुला वेंकटी, चिट्टाला गुरु किरण, चिट्टाला वंशी, कासम शंकरय्या, दोंडुगुला पोचम, आमुला भाग्यलक्ष्मी, विजयगिरी नरसिम्हा चारी, पिडुगु राजय्या, देगला तिरुपति, मिगुलु, येर्ला लक्ष्मी, एरौजु सदानंदाचारी, येर्ला नारायण, येर्ला शंकरय्या, मुगुला रवींदर रेड्डी, एलुपुगोंडा कुमार स्वामी, शिवरात्रि नरसय्या, येल्लंकि अनिल कुमार, मेकला राजि रेड्डी, इसंपेल्ली कोमुर्म्मा, तोटा नारायण, सिंचाई परियोजनाएं
306	पट्टा	1.00	नररी रायानरसु, तौटम माचय्या, सिद्धा मल्लय्या, कोरंडुला रवींदर रेड्डी, गादे वेंकट राजम, संदबोइना आदि लक्ष्मी, मरी राजय्या, एनटीपीसी.
307	पी.पी.	0.20	आईओसीएल, बंचराइ, सिंचाई परियोजनाएं, एनटीपीसी, एचपीसीएल
	कुल	5.171/2	

[फा.सं. Dy.CE/C/KZJ/ROB/LC No. 49/20A]

मोतीलाल भूक्या मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 17th June, 2026

S.O. 3238(E).— In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, **Proposed Road Over Bridge in lieu of existing Level Crossing Gate No.49 at KM.275/46-48 between Raghavapuram and Ramagundam Station** in Peddapalli District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Revenue Divisional Officer, Peddapalli, Peddapalli District, in writing and shall be set out the grounds there of and the competent authority Revenue Divisional Officer, Peddapalli, Peddapalli District shall give the objector an opportunity of being

heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority (CALA).

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: “ **Proposed Road Over Bridge in lieu of existing Level Crossing Gate No.49 at KM.275/46-48 between Raghavapuram and Ramagundam Station** in the state of Telangana.

Name of village: Kundanapalli	Name of mandal: Anthergaon	Name of the district: Peddapalli
-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Sy.No	Classification (Dry/Wet) Type of land (Patta/Govt)	Area proposed to be acquired (in acres)	Names(s) of Pattadar (s) as per Bhubarathi Pahani	Details of Structure, trees, etc.
4	P.P	0.01	Government Lands	
5	Patta	0.22	Mohammad Moin, Md Majid, Harara Venu Gopal Rao	
13	Patta	0.09	Kantala Lakshmi	
19	Patta	0.18	Chintireddy shivaranjini, Chintireddy Ramreddy, NTPC, Samala Mallesham	
20	Patta	0.01	NTPC	
22	Patta	0.02	Mekala Chandraiah, NTPC.	
23	Patta	0.10	Munnir Ahmed, Mohammed Farkruddin, NTPC	
24	Patta	0.20	Erukula Laxman, Samudrula Ramanj chary, Mohammed Ismil	
25	Patta	0.04	Gulam Biyabani, Gousia, NTPC.	
26	Patta	0.02	Gulam Biyabani, NTPC.	
27	Patta	0.02	Vanavamallai Srinivas Chary, Sidda Lakshmi, Burra Rajayya, NTPC	
70	Patta	0.08	Burra Chandraiah, Burra Rajaiah, Burra Rajamouli, Burra Srinivas, Burra Chiranjeevi, Burra Ramu, NTPC	
71	Patta	0.07	Mekala Veera Reddy, Mekala Satyanarayana Reddy, Mekala Srinivas Reddy, NTPC	
72	Patta	0.04	Enaganti Srinivas, Enganti Ravi, Railways.	
73	Patta	0.03	Vanamamalai Ramana Charay, NTPC.	
74	Patta	0.04 1/2	Burra Aarjaaiah, Burra odeleu, Burra Rajaiah, Burra Narasamma, Ponam Shyam Sundhar, Burra Shankaramma, NTPC	
304	K.K	0.31	IOCL, Government lands.	
305/1	Patta	0.09	Chinttala Lasmamma, Dondugula Venkati, Chittala Guru Kiran, Chittala Vamshi,	

			Kasam Sahankaraiah, Dondugula Pocham, Amula Bhagya Laxmi, Vijayagiri Narsimha Chari, Pidugu Rajaiah, Degala Tirupathi, Migulu, Erla Lakshmi, Erroju Sadanadhachary, Earla Narayana, Earla Shankaraiah ,Muggla Ravindhar Reddy, Elupugonda Kumara Swamy, Shiva Ratri Narsaiah, Yellanki Anil Kumar, Mekala Raji Reddy, Esampelli Komuramma, thota Narayana, Irrigation Projects	
306	Patta	1.00	Narra Rayanarsu, Thoutam Machaiah, Sidda Mallaiah, Korndla Ravidhar Reddy, Gade Venkata Rajam, Sandeboyina Adhi Laxmi, Marri Rajaiah, NTPC.	
307	P.P	0.20	IOCL, Bancharai, Irrigation Projects, NTPC,HPCL.	
	Total	5.17 1/2		

[F. No. Dy.CE/C/KZJ/ROB/LC No. 49/20A]
MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II